

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 09.07.25

क्रमांक रीडर/2025/ 5835
प्रार्थी बनाम

अप्रार्थीगण

1 माणकसिंह पुत्र
इन्द्रसिंह जाति रावणा
राजपुत निवासी
बाड़मेर गादान
तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 ईश्वरसिंह 2 कानसिंह पिरारान बीजराजसिंह 3 खीमकंवर पत्नि
करणसिंह 4 खीमसिंह पुत्र बीजराजसिंह 5 तेजमालसिंह पुत्र
करणसिंह 6 देश कंवर पत्नी बीजराजसिंह 7 पृथ्वीसिंह पुत्र करणसिंह
8 वीरसिंह गोदपुत्र कमलसिंह 9 सारे कंवर पत्नी कमलसिंह 10
हरिसिंह पुत्र करणसिंह जातियान राजपुत निवासी बाड़मेर गादान 11
समदी देवी पत्नी प्रेमसिंह 12 सीता देवी पत्नी डूंगरसिंह 13 कौशलया
देवी पत्नी ईश्वरसिंह 14 गणपतसिंह पुत्र धारसिंह 15 पपु देवी पत्नी
कालुसिंह 16 मुकेशसिंह पुत्र नेमसिंह 17 नीम्बसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
जाति रावणा राजपुत निवासी डीगड़ा, आटी तहसील व जिला बाड़मेर
18 गोरधनसिंह पुत्र देवीसिंह 19 ओमसिंह पुत्र नाथुसिंह 20 फुलसिंह
पुत्र मगसिंह 21 भंवरसिंह पुत्र हरखसिंह जाति राजपुत निवासी
बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर 22 दुर्गसिंह पुत्र लीलसिंह
निवासी कनौड़ा तहसील व जिला बाड़मेर 23 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 136/2025

दिनांक- 30/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 854/257 रकबा 1.0603 हैक्टर, भूमि मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3228/2228 रकबा 0.5099 हैक्टर, खसरा संख्या 3246/2229 रकबा 0.2185 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 09.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 5836-39

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी व पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी माणकसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण ईश्वरसिंह पुत्र बीजराजसिंह वगैराह जातियान राजपुत निवासी बाड़मेर गादान जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर